10/2/26

पत्रा. पेश। श्री वकील प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। चूंकि दावा वादी अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जा चुका है अतः प्रा.पत्र 212 में कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है प्रा.पत्र को नाट प्रैस खारिज किया जाता है।

पत्रा. फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर